भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1267

सोमवार, 25 नवम्बर, 2019/04 अग्रहायण, 1941 (शक)

खनन गतिविधियों के अंतर्गत श्रमिक

1267. श्रीमती रंजीता कोली:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के भरतपुर जिले में खनन गतिविधियों में श्रमरत असंगठित और संगठित क्षेत्र के कामगार तपेदिक रोग से पीड़ित हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या अध्ययन किया गया है;

(ग) क्या मंत्रालय ने अन्य विभागों से तपेदिक रोग का समुचित उपचार को सुनिश्चित करने हेतु और भरतपुर जिले में और अधिक तपेदिक उपचार अस्पताल स्थापित करने हेतु विचार-विमर्श किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): चूंकि खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत तपेदिक एक अधिसूचित रोग नहीं है, इसलिए तपेदिक के संबंध में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) द्वारा कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं कराया गया है।

तथापि, पत्थर खान कामगारों के बारे में धूल संबंधी रोगों के प्रसार तथा सतत निवारक रणनीतियों के अध्ययन के उद्देश्य से खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस), गाजियाबाद ने खान मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान(एनआईएमएच), नागपुर के सहयोग से "खनन किय्राकलापों में लगी असंगठित क्षेत्र की पत्थर की खानों में धूल संबंधी रोगों का बहु-केन्द्रिक अध्ययन तथा सतत निवारक कार्यक्रम का विकास" नामक परियोजना की गई थी। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना तथा पश्चिम बंगाल के खनन क्षेत्रों में इस अध्ययन ने अन्य बातों के साथ-साथ दर्शाया कि अध्ययन किए गए क्षेत्र में बलुआ पत्थर खान कामगारों के 64 मामलों (6.3 प्रतिशत) में फेफड़ों संबंधी तपेदिक के रेडियोलोजिकल साक्ष्य मिले थे जिनमें से 37 मामले (3.7 प्रतिशत) मामले पुराने ठीक हो चुके तपेदिक के मामले थे जबकि 27 मामले (2.6 प्रतिशत) सक्रिय तपेदिक के थे।

खान नियम, 1955 के अंतर्गत खानों में नियोजित कामगारों के प्रारंभिक एवं आवधिक चिकित्सा निरीक्षण करने का विशिष्ट उपबंध है तथा उसमें यदि तपेदिक अथवा सिलिको-तपेदिक के किसी संदिग्ध मामले का पता लगता है, तो उन्हें इस प्रयोजनार्थ गठित चिकित्सा बोर्ड को भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त, खान प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र खान कामगारों के उपचार की आवश्यकता को पूरा करते हैं।

****